मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित स्वच्छ भारत मिशन की "राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति"की नवम् बैठक दिनांक 02-06-2021 का कार्यवृत्तः-

उपस्थितिः-बैठक वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आहूत की गयी है।

आरंभ में राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) एवं कार्यकारी निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) द्वारा मा0 समिति के समक्ष स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया गया है। मा0 समिति को यह अवगत कराया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत लक्षित घटकों व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के लक्ष्य को पूर्ण करा लिया गया है। साथ ही ओ0डी0एफ0 प्रमाणीकरण की स्थिति स्पष्ट करते हुए मा0 समिति के समक्ष यह संज्ञान में लाया गया कि प्रदेश की समस्त नगरीय निकाय ओ0डी0एफ0 प्रमाणित करायी जा चुकी है। जिसके अन्तर्गत अग्रेतर प्रगति करते हुए 548 निकाय ओ0डी0एफ0 प्लस तथा 20 निकाय ओ0डी0एफ0 प्लस प्लस प्रमाणित करायी जा चुकी है।

मा0 समिति द्वारा विचार-विमर्श के दौरान यह अपेक्षा की गयी कि प्रदेश में न्यूनतम ऐसी निकाय जिनकी आबादी 1 लाख या उससे अधिक है तथा 75 जनपदों के जिला मुख्यालय की निकायों में फीकल स्लज प्रबंधन सुनिश्चित कराते हुए ओ0डी0एफ0 प्लस प्लस प्रमाणीकरण का कार्य कराया जाए। साथ ही नवसृजित निकायों में स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय के अन्तर्गत विभिन्न घटकों के दायित्वों की पूर्ति हेतु एक कार्ययोजना तैयार कर वित्त पोषण संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

यह भी अपेक्षा की गई कि स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अन्तर्गत निर्मित शौचालयों यथा सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के निर्माणोपरांत यह सुनिश्चित करा लिया जाए कि सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय सुचारु रुप से संचालित हैं। साथ ही उनमें साफ-सफाई, पानी तथा भारत सरकार की गाईडलाइन/स्वच्छ सर्वेक्षण में परीक्षित किये जाने वाले मानकों के अनुसार रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए।

अग्रेतर प्रस्तुतीकरण में समिति द्वारा अष्ट्म बैठक में लिए गए निर्णय/अनुपालन व तत्क्रम में प्रस्तुत की गयी प्रगति की स्थिति को संज्ञान में लिया गया।

नवीन प्रस्ताव से संबंधित एजेण्डा बिंदु-1

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अन्तर्गत मिशन निदेशालय से निकाय के खाते में अवमुक्त धनराशि से क्रय किये जाने हेतु जनपद स्तर पर मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित क्रय समितियों का अनुमोदन।

विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के मुख्य घटक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मद के अन्तर्गत निकाय के खातों में अवमुक्त धनराशि से क्रय किये जाने हेतु जनपद स्तर पर मण्डलायुक्त (नगर निगम के संदर्भ में), जिलाधिकारी (नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद के संदर्भ में) की अध्यक्षता में क्रय समितियों का गठन किया गया है। उक्त समितियों द्वारा औचित्यपूर्ण विशिष्टि के अनुसार वाहन, उपकरण इत्यादि का क्रय, गर्वमेन्ट ई-मार्केट प्लेस के माध्यम से क्रय किये जाने तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमावली-2016 के अनुरुप निकाय स्तर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है, तथा वर्तमान में उक्तानुसार कार्यवाही संपादित की जा रही है।

निर्णयः- मा0 समिति द्वारा उपरोक्त क्रय समितियों को औचित्यपूर्ण मानते हुए कतिपय संशोधन यथा प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय से भिन्न अपर जिलाधिकारी के समकक्ष अधिकारी-सदस्य (जिलाधिकारी द्वारा नामित) तथा जनपद के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी को भी सदस्य के रुप में सम्मिलित करते हुए उक्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>नवीन प्रस्ताव से संबंधित एजेण्डा बिंदु-2</u>

मिशन निदेशालय स्तर पर बड़े शहरों में यथा आवश्यकतानुसार प्रोसेसिंग प्लांट, बायो-रेमिडिएशन के कार्य अथवा अन्य बड़ी परियोजनाओं की निविदा आमंत्रित करते हुए अन्य कार्यवाही किये जाने हेतु राज्य स्तर पर गठित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोक्योरमेंट सेल एवं राज्य स्तरीय तकनीकी समिति में कार्यकारी निदेशक एवं अपर मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय को सम्मिलित करते हुए कतिपय संशोधन सहित अनुमोदन।

मा0 समिति के समक्ष स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के समक्ष ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो की प्रगति प्रस्तुत करते हुए यह संज्ञान में लाया गया कि निकायों में समुचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कराये जाने हेतु कतिपय निकायों में आवश्यक तकनीकी दक्षता न होने के कारण प्रायः उक्त कार्यों के निष्पादन में निकायों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिसके विषयगत नगर विकास विभाग द्वारा निकायों को तकनीकी रुप से सहायता करने एवं संबंधित कार्य का तकनीकी परीक्षण करते हुए निविदाओं की स्वीकृति प्रदान करने के साथ-साथ निम्न मुख्य कार्यो हेतु राज्य स्तरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकी सेल तथा राज्य स्तरीय प्रोक्योरमेंट सेल का गठन किया गया है। उक्त समितियों द्वारा निम्न कार्य संपादित किये जा रहे हैः-

(1) नये प्लांटों के अधिष्ठापन हेतु निविदा का कार्य।

(2) अक्रियाशील प्लांटों को क्रियाशील बनाये जाने हेतु as on where on basis पर कार्य पूर्ण कराना।

(3) निकायों द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु प्रेषित डी0पी0आर0 का मानकों के अनुरुप परीक्षण कर उपरोक्त के विषयगत यथा आवश्यकतानुसार उक्त के अनुमोदन को सक्षम स्तर पर रखा जाना।

उपरोक्तानुसार उपरोक्त समितियों का अनुमोदन वांछित है।

निर्णयः- मा0 समिति द्वारा उपरोक्त समितियों के गठन के उद्देश्य को औचित्यपूर्ण मानते हुए व्यावहारिकता के दृष्टिगत कार्यकारी निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) को प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/मिशन निदेशक के स्थान पर अध्यक्ष पद पर नामित करने तथा उक्त समितियों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ (मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय द्वारा नामित) को भी सम्मिलित किये जाने की संस्तुति की गयी।

<u>नवीन प्रस्ताव से संबंधित एजेण्डा बिंदु-3</u>

स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लांट संबंधी 20 निकायों की डी0पी0आर0 का अनुमोदन।

मा0 समिति के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2016 एवं कालांतर में समय-समय पर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्गत आदेशों तथा प्रदेश की नगरीय निकायों में जनित होने वाले कूड़े की कुल मात्रा 14468 टन प्रति दिन के सापेक्ष 5475 टन प्रति दिन के प्रसंस्करण की सुविधा विद्यमान एवं संचालित है।

उपरोक्तानुसार शेष ऐसी नगरीय निकाय जहां जनित होने वाले कूड़े की मात्रा न्यूनतम 40 टन प्रतिदिन या उससे अधिक है, में वैज्ञानिक विधि से प्रसंस्करण की सुविधा स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। जिसके क्रम में 37 नए प्रोसेसिंग प्लांट एवं पूर्व की योजनाओं में स्वीकृत विभिन्न स्थानों पर लगने वाले प्रासेसिंग प्लांट जो कि कतिपय कारणों से संचालित/स्थापित नहीं किया जा सका, को क्रियाशील बनाये जाने हेतु नगर विकास विभाग द्वारा नामित कार्यदायी संस्था सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0, जल निगम द्वारा कार्यवाही करायी जा रही है। तद्नुसार प्रथम चरण में 20 नगरीय निकाय-नगर निगम-बरेली ,नगर पालिका परिषद-पडरौना, खुर्जा, सिकन्दराबाद, नगीना, गंगाघाट, कुशीनगर, हाथरस, एटा, उन्नाव, कैराना, लखीमपुर, फर्रूखाबाद, शामली, देवरिया, खोड़ा मकनपुर, हरदोई, पीलीभीत, भदोही ,ललितपुर, कुल अनुमानित लागत रु0 14342.91 लाख एवं क्षमता 1680 टी0पी0डी0 हेतु प्रोसेंसिंग प्लांट निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल

निगम द्वारा बनायी गयी डी0पी0आर0 जिसे क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ द्वारा पुनरीक्षण किया गया है, का अनुमोदन वांछित है।

निर्णयः- मा0 समिति द्वारा उपरोक्त बिंदु पर अनुमोदन करते हुए यह निर्देश दिया गया कि नियमानुसार शासकीय स्वीकृति के उपरांत निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए प्रोसेसिंग प्लांट का सम्यक संचालन भी सुनिश्चित किया जाए।

<u>नवीन प्रस्ताव से संबंधित एजेण्डा बिंदु-4</u>

लिगेसी वेस्ट के निस्तारण के संबंध में मा0 समिति की अष्टम् बैठक में अनुमोदित कार्य योजना के विषयगत संबंधित निकायों की विस्तृत कार्ययोजना यथा आवश्यकतानुसार नगर निगम एवं सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम से तैयार कराकर निकायों को वित्त-पोषण किये जाने हेतु की जाने वाली कार्यवाही का अनुमोदन।

मा0 समिति के समक्ष विगत बैठक में दिये गए निर्देशों के अनुसार प्रदेश की 72 निकायों में विद्यमान लगभग 84.57 लाख टन लिगेसी वेस्ट के निस्तारण की कार्ययोजना लागत लगभग रु0 422.00 करोड़ के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश रु0 85.46 करोड़ अवमुक्त किया जा चुका है, जिसके सापेक्ष राज्यांश रु0 158.71 करोड़ अवमुक्त होना शेष है। मा0 समिति को विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में लिगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु निकायों की विस्तृत कार्ययोजना यथा आवश्यकतानुसार उक्त चिन्हित् निकायों में प्राथमिकता के आधार पर नगर निगम एवं सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम से तैयार कराकर निकायों को वित्त पोषण किये जाने हेतु की जाने वाली कार्यवाही का अनुमोदन वांछित है।

निर्णयः-लिगेसी वेस्ट के निस्तारण के संबंध में विचारोपरांत मा0 समिति द्वारा यह निर्देशित किया गया कि स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मद में उपलब्ध धनराशि से निकायों से समुचित प्रस्ताव प्राप्त करते हुए वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही नगर निगमों एवं प्रदेश की अन्य बड़ी निकायों जहां लिगेसी वेस्ट की मात्रा अधिक है, ऐसी निकाय जो गंगा, यमुना तथा अन्य सहायक नदियों के किनारे स्थित है एवं मा0 एन0जी0टी0 अथवा मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालयों से संदर्भित वादों से आच्छादित नगरीय निकाय (यदि कोई हो), का कार्य प्राथमिकता पर करा लिया जाए। किसी भी निकाय की कोई वेस्ट डम्प साइट को यदि चयनित किया जाना है, तो आधा-अधूरा कार्य न किया जाए, उस विशिष्ट स्थान का सम्पूर्ण वेस्ट हटवाया जाए, इसी के साथ यह सुनिश्चित करा लिया जाए कि उनमें भविष्य में कूड़ा डम्प न किया जाए तथा उसे ग्रीनसाइट के रुप में विकासित किया जाए। नगरीय निकायों के विषयगत नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा समुचित प्रस्ताव प्राप्त कर निकाय में विद्यमान लिगेसी वेस्ट के निस्तारण का वित्त पोषण स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मद से सुनिश्चित करते हुए विभाग स्तर पर सक्षम स्तर से

निर्णयोपरांत लिगेसी वेस्ट के निस्तारण की कार्यवाही नगर निगमों तथा यथा आवश्यकतानुसार सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम से डी0पी0आर0 गठित कराते हुए उक्त निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

उपरोक्तानुसार हुए विचार-विमर्श तथा संस्तुति/निर्णय के पश्चात बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

भवदीय

(संजय कुमार सिंह यादव)

विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-5

संख्या- 8840 **/नौ-5-2021-355सा/2014**

लखनऊः दिनांक 01 जुलाई **जून, 2021**

प्रतिलिपिः- समस्त संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- राज्य मिशन निदेशक/कार्यकारी निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन नगरीय, उ0प्र0।
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारी।
6- कम्प्यूटर सेल-नगर विकास अनुभाग-5 की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(संजय कुमार सिंह यादव)

विशेष सचिव।